


उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज सुरेश बनाम रामप्रसाद वगै० मु०नं० 63/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.03.2025	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी कराने हेतु तलवाना सम्मन पेश करने के लिये कई अवसर दिये जा चुके है किन्तु तलवाना सम्मन पेश नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहती है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p> उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)</p>	